अस्थाई कोषागार
31 JUL 2008
कोषाधिकारी
आगरा

उत्तर प्रदेश U

SH AGRA

100955

Director

§ ओउम नमः शिवाय §

किस्म दस्तावेज	–	बैनामा § सेल डीड § ।
भूमि का प्रकार	–	कृषिक ।
वार्ड/परगना	–	मौजा लकावली तहसील व जिला आगरा।
आराजी का विवरण		कैम्प,खसरा नं.711,712,713,732 में से – में से विक्रय किया जा रहा है।
आराजी का प्रकार	–	कृषिक ।
विक्रीत जमीन का क्षेत्रफल	–	0.4427 हेक्टेयर§ [illegible] में से 1/3 भाग 0.1476 हेक्टेयर आराजी का विक्रय किया जा रहा है।
प्रतिफल की धनराशि	–	22,00,000/- रुपये ।
देय स्टाम्प § 17 पेज§	–	1,55,000/- रुपये ।
सरकारी मालियती	–	8,64,000 /- रुपये ।

Director

Authorised

Auth. Signatory

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

100954

31 JUL 2008

कोषाधिकारी

2

जमीन का सर्किल रेट — 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर , जो कि सर्किल रेट सूची एस. आर. प्रथम पेज 13 के क्रमांक 13 पर अंकित है।

आराजी के अन्तरण से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27(1) का कोई उल्लंघन नही हो रहा है। विक्रीत आराजी का बैनामा फर्म के नाम रजिस्टरी होने पर शासन के आदेश संख्या 2756 दिनांक -30-6-2008 के अनुसार स्टाम्प 7 प्रतिशत देय है कि जो नियमानुसार अदा किया गया है । विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग से करीब 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है जो अविकसित क्षेत्र में जो पार मोटरवाडे दगडे स्यो रास्ते के सहारे है। पुराने खता- प्रथम पक्ष ने खसरा नम्बर 711 रकबई 0.1558 हे. मैं से 0.1093 हे. बैनामा दि. 3-12-2005 को व खसरा नम्बर 712रकबई 0.1558 हे. मैं से 0.1183 हे. बैनामा ~~दिनांक 3~~-12-2005 को व खसरा नम्बर 713 रकबई 0.1558 हे. कुल को बैनामा दिनांक 28-11-2005 को व खसरानम्बर 732 रकबा 0.385 हे. मैं से 1/5 भाग यानी 0.1283 हे. को बैनामा दि. 2-12-2005 को क्रय करके प्राप्त किया है इस प्रकार प्रथम पक्ष ने चार किता बैनामों द्वारा कुल 0.5427 हे. भूमि क्रय करके दाखिल खारिज कराई है जिसमें से 1/3 भाग यानी 0.1876 हे. आराजी विक्रय की गयी है।

For Nand Estate Developers (P) Ltd.

Director

Auth. Signatory

[illegible] ₹38,000.00 | 5,000.00 | [illegible] | [illegible]

फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | [illegible]

[illegible]

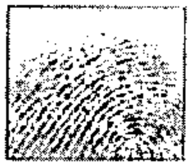

[illegible] 2:46PM

ओ0पी0 कटारिया
उपनिबन्धक (तृतीय)
आगरा सदर

[illegible] पंकज कुमार [illegible]

[illegible]

[illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible] नगर आगरा

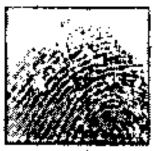

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible] आइर [illegible] द्वारा कमल किशोर विज

पुत्र/पत्नी श्री भगवान दास विज

पेशा व्यापार

निवासी कमला नगर आगरा

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

31 JUL 2008
कोषाधिकारी
आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 100953

3

हम कि नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर श्री नन्द किशोर संघरानी पुत्र श्री दामोदर दास संघरानी निवासी डी67 कमला नगर शहर आगरा। ———— विक्रेता/प्रथम पक्ष।

एवं

थर्ड आई मीडिया प्रा. लि. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल किशोर मिश्र पुत्र श्री भगवान दास मिश्र निवासी एफ 665 कमला नगर शहर आगरा। ———— क्रेता/ द्वितीय पक्ष।

Third Eye Media Pvt. Ltd.
Auth. Signatory

For Nand Estate D...
Director

नरेश चन्द
सुरेश चन्द
व्यापार
खन्दारी आगरा

राज कुमार
किशन सिंह
व्यापार
कोल्हाई शाहगंज आगरा

ओ0पी0 कठेरिया
उपनिबन्धक (तृतीय)
आगरा सदर

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

अखलाक खाँ
3 1 JUL 2008
कोषाधिकारी
आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J00952

4

जो कि एक किता अराजी वाके मोजा लकावली तहसील व जिला आगरा
खसरा नम्बर 711,712,713,732 —+ मे से विक्रय किया जा रहा है रकबा
0.4427 हेक्टेयर ([illegible]) मे से 0.1476 हेक्टेयर आराजी का विक्रय
किया जा रहा है लगान 24 रुपये 85 पैसे सालाना फसली वर्ष सन 1415-1420
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
को प्रथम पक्ष ने चार किता पंजीकृत बैनामों द्वारा आराजी रकबई 0.4427
क्रय करके दाखिल खारिज कराया और प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिधर मालिक व
स्वामी हुये जिनमें से प्रथम पक्ष 1/3 भाग यानी 0.1476 है. आराजी प्रथम

For Nand Estate [illegible] Ltd.
Director

विक्रेता

Registration No. [illegible] Year 2009 Book No. [illegible]

0101 सुरेश कराल पव0 मुरलार

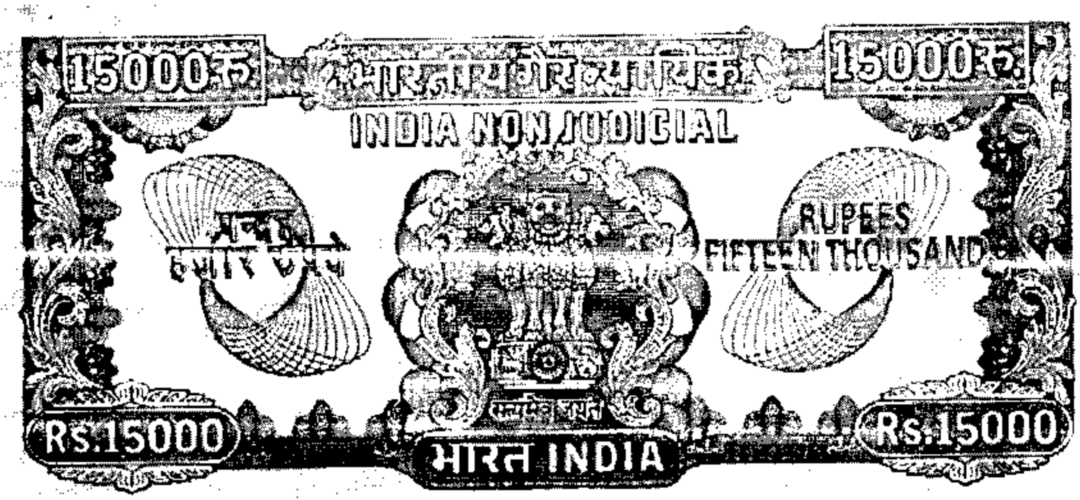

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 100951

31 JUL 2008
कोषाधिकारी
आगरा

5

पक्ष केवल 0.1476 हेक्टेयर भूमि क्रेता द्वितीयपक्ष को विक्रय कर रही है इस प्रकार उक्त जमीन की विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी एकमात्र मालिक व स्वामी चली आती है जिस पर विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी काबिज कब्जा है व दखल चला आता है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष कम्पनी के दीगर कोई हकदार व हिस्सेदार वगैरा नहीं है ।

... Eye Media Pvt. Ltd.
... Signatory

For Nand ...
Director

क्रेता

Registration No 3125 Year 2009 Book No 1

0201 श्री अक्षुर मीडिया प्रा लि द्वारा कमल किशोर गिल

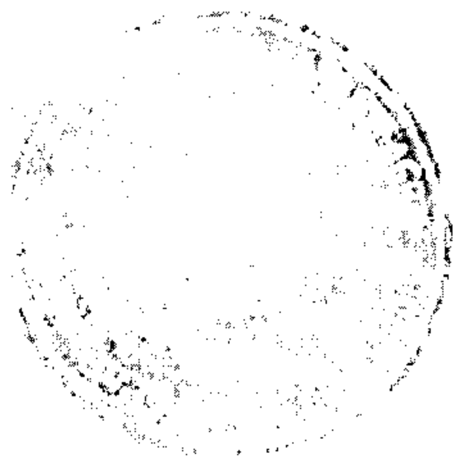

15000 रु भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

100950

31 JUL 2008
कोषाधिकारी
आगरा

6

जो आज तक विक्रेता प्रथमपक्ष की ओर से हर प्रकार के कर्ज व वारंट भार व अन्य ऋण व दान व जमानत व नालिश व नीलाम व हर प्रकार की समस्त देनदारी व जिम्मेदारी वगैरा से कतई पाक व साफ है प्रथम पक्ष ने विक्रीतजमीन

For Nand [illegible] Ltd.
Director

[illegible] Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BGAA 421135

7

[illegible] किसी अन्य व्यक्ति से कोई इकरारनामा आदि नहीं किया है [illegible] किसी बैंक या संस्था में बन्धक रखा है चूंकि इस समय प्रथमपक्ष को रुपयों की जरूरत है और जरूरत कोपूर्ति करने के लिये उक्त कुल आराजी में से केवल 0.1476 हैक्टेयर आराजी का विक्रय करना मंजूर है ।

For N[illegible] Ltd.

Director

Thad[illegible] Ltd.

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs 10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs 10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 420134

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के मय समस्त अधिकार व आधिपत्य व स्वामित्व सहित व बिना छोडे किसी हक व अधिकार के मय दाखिलो व खारिजो के आराजी [redacted] को बिल रकम मुबलिग === 22,00,000/- बाईस लाख रूपये कि आधे जिसके मु0 11,00,000/- ग्यारह लाख रूपये होते है बदस्त थर्ड आई मीडिया प्रा. लि. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल किशोर सिंह पुत्र श्री भगवान दास सिंह निवासी एफ 885 कमला नगर शहर आगरा उपरोक्त क्रेता द्वितीयपक्ष को बैयकर्ई को औरबेच दी तथा

For Nand Estate P... Ltd.

Director

Third Eye M... Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]

9

कीमत का कुलरुपया विक्रेता प्रथम पक्ष ने खरीदार द्वितीय पक्ष से 22,00,000/- रुपया विभिन्न बैंक चेकों के द्वारा समायोजित कर प्राप्त कर लिया है जिसका प्रथमपक्ष पाना स्वीकार करते हैं। अब कुछ पाना या लेना बाकी नहीं रहा और नाही आइन्दा होगा।

[illegible]

For Nand Estate [illegible] (P) Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत जमीन आराजी के वाकई खाली पर प्रथम पक्षने खरीदार द्वितीयपक्ष का करा दिया है और खरीदार को उक्तआराजी भूमि का एकमात्र तन्हा मालिक व स्वामी बना दिया है आज के बाद खरीदार को हक व अधिकारहै कि वह उक्त भूमि मे हस्व मर्जी अपने चाहै जैसी काश्त

For Nand Estate ...

Director

... Pvt. Ltd.

...tory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वगैरा करे उसका लगान अदा करे जरिये बैनामा हाजा के अपनेनाम का दाखिल खारिज करावे वक्त जरूरत चाहे जिस व्यक्ति को चाहे जिस कीमत मे एक भाग मे या अनेक भाग मे रहन बय हिबे विक्रय आदि जो चाहे सो करे

For Nav... Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 565350

अब कोईहक व हिस्सा व कब्जा व दखल बाकी नही रहा है और ना ही आइन्दा होगा उक्त जमीन आराजी नजूल या राजकीय आस्थान की नही है जिसको राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित नही किया गया है ना ही कोई मुआवजा लिया गया है ना ही किसी वाद मे अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित की गयी है

For Nand Estate Deve...

Director

Third ...

Auth...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 560597

अगर भविष्य मे व वजह दावेदारी किसी हकदार व हिस्सेदार की से या नुक्स टाइटिल विक्रेता प्रथम पक्ष की से आराजी मुबैया मजकूर का कोई जुज या कुल कब्जा व दखल खरीदारसे निकल जावे या किसी को कोई रकम अदा करनी पडे या बैनामा हाजा मे किसी प्रकार की कोई कानूनी कमी पायी जावे तो उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष की होगी खरीदार जिस प्रकार चाहे मय सूद के वसूल कर ले उज्र व एतराज न होगा ।

For Nand Estate Dev... Ltd.

Director

Au...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14

विक्रीत आराजी मे तथा उसके आस पास 200 मीटर की परिधि मे कृषि हो रही है और कृषि भूमि मे कुंआ बोरिंग पेड़ पौधा आबादी निर्माण आदि नही है विक्रेता व क्रेता अनुसुचित जाति के व्यक्ति नही है।

विक्रीत आराजी की सरकारी मालियत -8,64,000/- रुपया बनती है लेकिन खरीद कीमत 22,00,000/- रुपया पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से 1,55,000/- रुपया का स्टाम्प अदा किया गया है जिसमे सरकार को राजस्व का सरासर फायदा है।

Third Eye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15

नोट —

विक्रेता प्रथम पक्ष (नन्द किशोर मंघरानी) ने सुरेश चंद पुत्र श्री पी.एल. अग्रवाल निवासी 26 गांधी नगर आगरा को यह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये मुख्तारनामा तसदीक शुदा नियुक्त किया है जिसकी रजिस्टरी श्रीमान सब रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम आगरा में विधिवत दर्ज है जिसके द्वारा प्रथमपक्ष ने अपने द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28 JUL 2008

कार्याधिकारी

आगरा

E 565073

16

जो आज तक प्रभावी है केन्सिल नही हुआ है जिसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधिकारो मे आज तक कोई कमी नही आयी है । नोट पर्त 1 की सतर 4 मे खसरा नं.711,712,713,732 मैं से गन्दा है व सतर 7 मैं 0.4427 गन्दा व उसके बाद कटा है व पर्त 4 की सतर 2 मैं खसरा नम्बर 711,712,713, 732गन्दे है व सतर 3 मैं 0.4427 है. गन्दा है व हेक्टेयर व मैं से [illegible] कटा व पर्त 4 की सतर 5 लगायत 10 टाईप से पढ़ी है व पर्त 8 की सतर 4 मैं आराजी के बाद कटा है व सतर 5 मैं को [illegible] जो मंजूर है।

For Nand Estate De[illegible] Ltd.

Director

कार्यालय उपनिबन्धक, आगरा

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन में

विक्रेता/क्रेता के फिंगर प्रिन्ट्स

1. विक्रेता का नाम व पता [illegible]

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बाँये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

2. क्रेता का नाम व पता [illegible]

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बाँये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 02-05-2009 ई० व मसौदा सुरेश कंसल एडवोकेट (प्रधान) सदर तहसील आगरा दस्तावेज हाजा पक्षकारान के कहे अनुसार तहरीर व टाईप की गयी है दस्तावेज पर चस्पा फोटो व हस्ताक्षरों की शनाख्त गवाहों ने की है।

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

गवाह नं० 1-

नरेश चन्द पुत्र श्री सुरेश चन्द

निवासी कन्धारी, आगरा।

गवाह नं० 2-

अनुराग कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द

निवासी राजा मण्डी आगरा।

Agrawal

Advocate

AGRA

आज दिनांक 22/05/2009 को

बही सं 1 जिल्द सं 2535

पृष्ठ सं 215 से 252 पर क्रमांक 3125

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ0पी0 कठेरिया

उपनिबन्धक (तृतीय)

आगरा सदर

22/5/2009

2

एक किता आराजी खसरा सं. 711, 712, 713 व 732
वाके व मौजा लकावली तह० व जिला आगरा

विक्रेता :- नन्द एस्टेट डवलपर्स (प्रा०) लि० द्वारा डायरेक्टर
नन्द किशोर मंघरानी

क्रेता :- थर्ड आई मीडिया (प्रा०) लि० द्वारा अधिकृत
प्रतिनिधि कमल किशोर बिज

रकबा :- 0.4427 है० में से 1/3 भाग यानि 0.1476 है०

लाल रंग में दर्शाया है

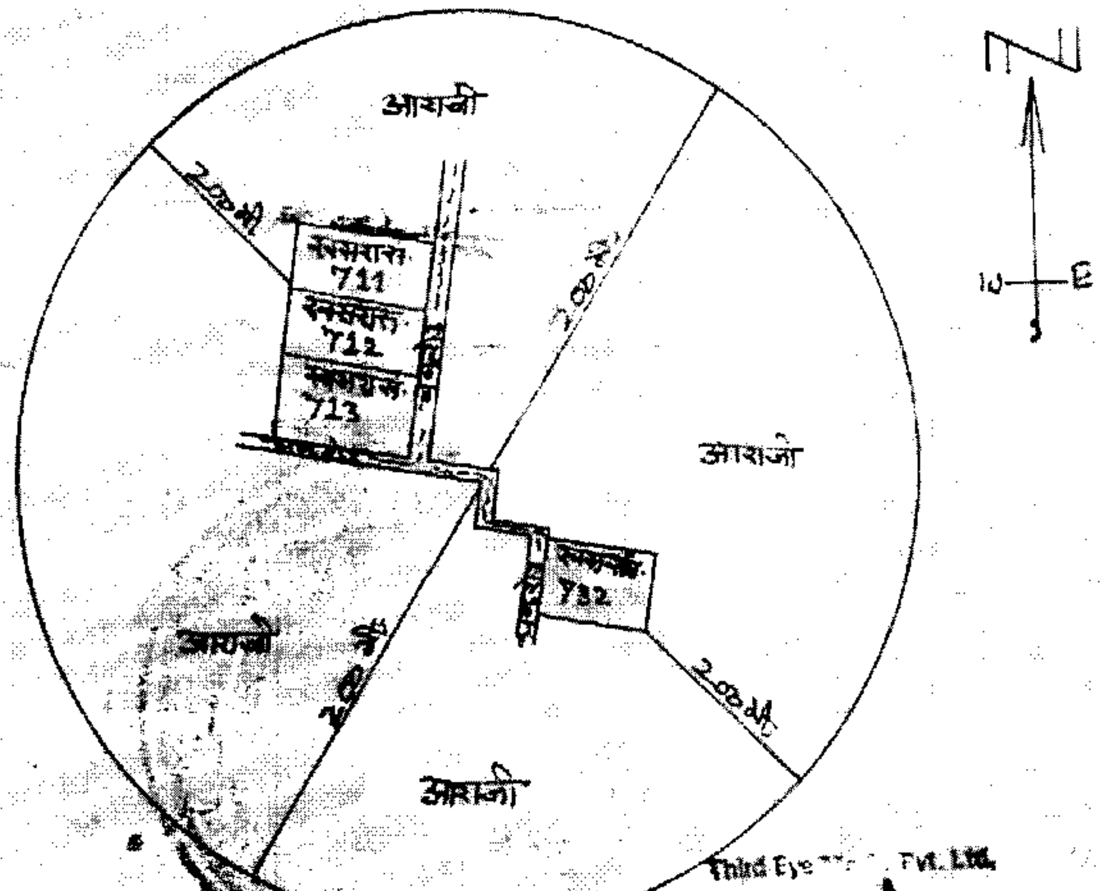

Third Eye ... Pvt. Ltd.

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

[redacted]

Director

L. No. 429/D/CB/99

3125/09